an>

Title: Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022

माननीय सभापति : आईटम नम्बर 24, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, 2022,

माननीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी।

THE MINISTER OF POWER AND MINISTER OF NEW AN RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Energy Conservation Act, 2001 b taken into consideration."

सभापति महोदया, पिछले एक दशक से दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में काफी बदला आया है। यह बदलाव आने का एक प्रमुख कारण यह है कि दुनिया के साम एनवायरमेंटल चैलेंजेज आ गए हैं। हमारा पर्यावरण खतरे में आ गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दुनिया के सभी देश इससे वाकिफ हैं और दुनिया के सभ देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें कार्यवाही करनी होगी ताकि हम ग्लोब वार्मिंग कम करें और क्लाइमेट चेंजेज कम हों। क्लाइमेट चेंजेज का एक प्रमुख कारण है कि जो एमिशन्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन्स, ग्रीन हाउस गै एमिशन्स ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। इसके फलस्वरूप एक मूवमेंट रिन्युएब एनर्जी की तरफ प्रारम्भ हुआ। ऐसी एनर्जी की तरफ जिससे कि एमिशन्स नहीं हो हैं। यह रिन्युएबल एनर्जी है या क्लीन एनर्जी है, इसकी तरफ एक मूवमेंट प्रारम्भ हुआ।

एक United Nations Framework Convention on Climate Chang (UNFCCC) है, उसके अंतर्गत कांफ्रेस ऑफ पार्टीज होती है, जिसमें सभी देश य प्रण करते हैं, निर्णय करते हैं, अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को क करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को कम करने के लिए क्या-क्या कद उठाएंगे। सभी देशों ने इस प्रकार के अपने अंडरटेकिंग्स लिए। भारत ने भी लिया कोप-21 पेरिस में सभी देशों ने प्लेजेज किए, हम लोगों ने प्लेज किया। हम लोगों

वादा किया कि वर्ष 2030 तक हमारी जो बिजली उत्पादन क्षमता है, उसका 4
प्रतिशत हम क्लीन सोर्सेज से करेंगे यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से करेंगे। उ
नॉन फॉसिल कहा गया, जिसमें कि एमिशन नहीं हो। एक रिन्यूएबल एनर्जी होता है
सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, बायोमास है, यह रिन्यूएबल एनर्जी है और एक क्ली
सोर्सेज होता है, जैसे कि न्युक्लियर पावर, तो हम लोगों ने कहा हमारी विद्युत
उत्पादन क्षमता का 40 प्रतिशत वर्ष 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा।

महोदय, हम लोगों ने यह लक्ष्य करीब 9 साल पहले ही नवम्बर, 2021 में प्राप्
कर लिया है। नवम्बर, 2021 में हम लोगों ने अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का 4
प्रतिशत नॉन फॉसिल फ्यूल से कर लिया है। बड़ी अर्थव्यवस्था में और विकसित देश
ने जो भी प्लेजेज किए थे, उनमें से जो प्लेज अचीव करने की गति है, उसमें हमा
बराबरी कोई नहीं करता है। पहले लोग हम लोगों से बात किया करते थे, जो हमा
कुलीग्स विकसित देशों से आते थे, वे हमसे एनर्जी ट्रांजिशन, एमिशंस रिडक्शन क
चर्चा किया करते थे।

आजकल दूसरे देशों से जितने भी हमारे कुलीग्स आते हैं, वे प्राय: डिफेंसिव प
रहते हैं, क्योंकि जितना काम हमने किया है, उतना अन्य देशों ने नहीं किया है
इसके दो कारण हैं। एक कारण तो पर्यावरण है। हम लोगों को पर्यावरण की चिंता है
लेकिन दूसरा एक और कारण है और वह कारण यह है कि हम लोग अपने देश क
आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। देश की आत्मनिर्भरता भी इसका एक प्रमुख कारण है
हम लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेश से इम्पोर्ट करने पर निर्भर हैं। ह
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं, कोकिंग कोल भी इम्पोर्ट करते हैं, हम ये स
इम्पोर्ट करते हैं। हमे स्वावलंबी बनना है। हमें अपनी इस निर्भरता को खत्म करना है
अब इसके लिए भी हमें एनर्जी ट्रांजिशंस करना आवश्यक है और इसके लिए फि
हम लोगों ने कहा, हमने ग्लासगो में अपना लक्ष्य बढ़ाया और साथ ही साथ हम लो
ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन अमोनिया मिशन, ये सब भी हम लोगों ने लाँच किया
प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को यह मिशन लाँच किया। उसके अंदर यह छिप
हुआ है कि हमारा डिजायर है, हमारा मकसद है कि हम अपनी एनर्जी निर्भरता क
विदेशों पर कम करें। हम रिप्लेस करेंगे। अभी क्या होता है? अभी फर्टिलाइज
बनाने के लिए हम अमोनिया विदेश से इम्पोर्ट करते हैं। अपनी रिफाइनरी के लि

हम नेचुरल गैस इम्पोर्ट करते हैं, उससे हम हाइड्रोजन निकालते हैं, उसे हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम खर्च करते हैं। उसके बदले हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बना लेंगे, यहाँ पर ग्रीन अमोनिया बना लेंगे। रिन्यूएब एनर्जी से जो हाइड्रोजन बनता है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। रिन्यूएबल एनज से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, उससे जो अमोनिया बनता है, उसे ग्रीन अमोनिय कहते हैं। यह हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। स्टील बनाने के लिए ह कोकिंग कोल इम्पोर्ट करते हैं तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन स डायरेक्ट रिडक्शन तकनीक से। इसी प्रकार से जहाँ कहीं भी हमें जरूरत है फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे हम रिप्लेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम इलेक्ट्रि व्हीकल मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग उसके लिए पॉलिसी लाए हैं। अ हम उस पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग होगा, उसको भ हम लोग इन्करेज कर रहे हैं कि उसे रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज करें।

महोदया, अभी हम लोगों की बिजली की जो डिमांड बढ़ रही है, वह काफ तेजी से बढ़ रही है, करीब 20 प्रतिशत हमारी डिमांड बढ़ रही है। यह तो खुशी क बात है। इसका एक कारण तो यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। हमा अर्थव्यवस्था 8 प्रतिशत की दर से ग्रो कर रही है। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, सब फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हमारी अर्थव्यवस्था की है। इसके कारण हमारी एनर्जी क डिमांड बढ़ रही है।

एनर्जी बढ़ने का दूसरा कारण है कि हमने हर गाँव को कनेक्ट कर दिया, हम दो करोड़ 86 लाख घरों को कनेक्ट कर दिया है। हमने उसके बाद भी बोला है कि अगर कोई घर कहीं पर छूटा हुआ है, जो उस समय बना हुआ था, उसको भी कनेक कर देंगे। हमने इतने जो कंज्यूमर्स जोड़े हैं, उसके कारण वह बढ़ रहा है त इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है।

हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी ऐड की है, उसने हमको इनेबल किया, उसकी ज डिमांड बढ़ी, वह हम मीट कर सके। करीब 24.8 प्रतिशत से 29.8 प्रतिशत बिजल हमने जो खपत की, वह पिछले कुछ महीनों से रिन्यूएबल एनर्जी से आयी। इन स दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोगों ने एनर्जी कंजम्प्शन एक्ट में अमेंडमेंट का प्रस्ता किया है। महोदया, इस अमेंडमेंट में क्या-क्या प्रावधान है? हम उसमें एक प्रावधा

यह कर रहे हैं कि जहां फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनपु
का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोक का इम्पोर्ट करके स्टील बनाने के लिए इस्तेमा
करते हैं या ग्रे अमोनिया का इम्पोर्ट करके फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमा
करते हैं, उसको हम देश में बने हुए ग्रीन हाइड्रोजन से और देश में बने हुए ग्री
अमोनिया से रिप्लेस करेंगे। उसका प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। हम ज
अमेंडमेंट लाए हैं, उसमें एक प्रावधान यही है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इनपुट्स है
उनको हम धीरे-धीरे ग्रीन इनपुट्स से रिप्लेस करेंगे, जो कि हमारे देश में बने हो
हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, वह कम होगा। एक अमेंडमेंट में यह प्रावधान है
महोदया, अमेंडमेंट में दूसरा प्रावधान यह है कि हम कार्बन मार्केट ला रहे हैं। कार्ब
मार्केट का अर्थ यह है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वे कार्बन मार्केट लाती है
उसका मुख्य कारण यह है कि जितनी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या मेजर कंज्यूमर्स है
उनको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि साहब आपका जो ऊर्जा का कंजम्प्शन है
उसका इतना प्रतिशत आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से करना होगा यानी ऐसे स्रोतों
करना होगा, जो कि एमिशन नहीं कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस से करना होगा। य
प्रिस्क्राइब कर दिया है, यह उसको करना है। अगर वह नहीं करता है तो उसक
पेनल्टी लगेगी। लेकिन ऐसी भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे भी कुछ कंज्यूमर्स हैं, जितन
उनको रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्प्शन करना है या जितना फॉसिल को नॉन फॉसि
से रिप्लेस करना है, उससे ज्यादा ही कर लेते हैं। क्योंकि वे भी इसमें विश्वास करते
कि हां साहब, हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कम करना है, एमिशन कम करना है
अगर ज्यादा कर लेते हैं तो उसके लिए इंसेटिव चाहिए, वह कार्बन मार्केट है। उसक
ऑब्लिगेटेड एनटिटी कहते हैं। कोई ऐसी इंडस्ट्री है, जिस पर यह बंधन नहीं लगा
कि आपको मिनिमम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्प्शन करनी है या फॉसिल फ्यू
का जो इनपुट है, उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से रिप्लेस करना होगा। लेकिन व
स्वत: कहता है कि हम ग्रीन बनना चाहते हैं। कोई बड़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, व
एनाउंस कर देगा कि हम रिस्पोंसिबल कम्पनी है। अब दुनिया में यह मूवमेंट च
चुका है कि हम रिस्पोंसबिल कम्पनी है। हम वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक टोटल
ग्रीन हो जाएंगे तो क्या करेगा, एक तो ग्रीन एनर्जी कर देगा। उसका जो शॉर्टफॉ
होगा, उसके लिए वह कार्बन क्रेडिट कर देगा तो यह कार्बन मार्केट है। उसका य
अर्थ है कि जो ज्यादा सेविंग कर लेता है, उसको कार्बन क्रेडिट मिलता है और ज

सेविंग नहीं कर पाता है, उसे पेनल्टी देनी पड़ती है। वह कार्बन क्रेडिट खरीद क
फिर अपनी पेनल्टी को अवॉइड करता है या जो स्वत: ग्रीन होना चाहता है, व
कार्बन क्रेडिट करता है। जो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म है, उसमें निवेश लाने के लि
वह एक तरीका है। हम उसका प्रावधान कर रहे हैं। हम बिल में जो अमेंडमेंट ला
हैं, उसमें मॉडर्न पावर सिस्टम के निर्माण का एक प्रावधान कर रहे हैं। हम इसमें ए
और प्रावधान यह कर रहे हैं कि जैसे मिडिल क्लास का मकान है, वह 900 स्क्वेय
फीट या 1200 स्क्वेयर फीट का है, वह मिडिल का है। जैसे बड़े-बड़े मकान बन र
हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बन रहे हैं, वे तीस हजार स्क्वेयर फीट के हैं या पचास हजा
स्क्वेयर फीट के हैं, आज कल ग्रीन बिल्डिंग का कान्सेप्ट निकला है। हम ग्री
बिल्डिंग्स को भी सस्टेनेबल में मोडिफाई कर रहे हैं। ग्रीन यह हुआ कि हमने अप
कंजम्प्शन इस प्रकार से किया कि हमारा जो कंजम्प्शन है, वह कम किया है। ह
सस्टेनेबल में रिन्यूएबल एनर्जी भी जोड़ते हैं।

हम इसमें ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग का प्रावधान कर रहे हैं। हम यह ब
बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं जैसे 35 हजार स्क्वेयर फीट या 40 हजार स्क्वेयर फीट
लिए कर रहे हैं यानी कि जिसका कंजम्प्शन 120 किलोवोल्ट से ज्यादा है यानी 10
किलोवाट से ज्यादा है, जो बहुत बड़ी-बड़ी मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, हम उनको
कह रहे हैं कि ग्रीन होने का हम स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे। इस स्टैंडर्ड को राज्य सरका
मोडिफाई कर सकती है। राज्य सरकारों को हम लोगों ने छूट दी है कि वे मोडिफा
कर सकती हैं।

स्टैंडर्ड्स का इम्पिलिमेंटेशन बिल्डिंग बॉयलॉज़ में डाल कर होगा। इसमें य
मुख्य प्रावधान है। हम इसमें ईज़ ऑफ लिविंग के लिए कर रहे हैं, जनता की लाइ
को आसान बनाने के लिए हम लोग एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, जैसे कि का
की एफिशिएंसी स्टैंडर्ड तय की जाती है कि इसका माइलेज इतना होना चाहि
इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रेफ्रिज़रेटर्स का स्टैंडर्ड तय करते हैं
जो स्टार रेटिंग है, वह हम लोगों की योजना है। उसमें सबसे एफिशिएंट को ह
फाइव स्टार देते हैं, सबसे कम एफिशिएंट को वन स्टार देते हैं। वन स्टार को हम
साल के बाद इल्लिगल कर देते हैं। जो टू स्टार है, वह वन स्टार बन जाता है। उस
यह था कि जो वॉयलेट करता है, उसमें कंज्यूमर पर भी पैनल्टी का प्रावधान थ

जिसको हम हटा रहे हैं। हम पैनल्टी का प्रावधान सिर्फ मनुफैक्चरर्स पर रख रहे
ताकि कंज्यूमर्स इसमें परेशान नहीं हों।

महोदया, मेजर अमेंडमेंट्स यही हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम लोगों के ऊज
क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। पहले हमारा देश पावर डेफिसिट था, आज पाव
सरप्लस हो गया है। हमारी स्थापित क्षमता आज 4 लाख 3 हज़ार मेगावॉट है, जबकि
हमारी मैक्सिमम डिमांड, पीक डिमांड 2 लाख 15 हजार मेगावॉट थी। यह बदला
आया है। महोदया, आज जो पावर शॉर्टेज होता है, वह 0.1 पर्सेंट से 0.4 पर्सेंट तक ह
है और वह भी इसलिए होता है, कि कहीं पर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में कोई गड़बड़
होती है। पावर की उपलब्धता से नहीं होता है। हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड
जोड़ दिया। 1 लाख 2 हजार मेगावॉट देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ह
ट्रांसफर कर सकते हैं। हम लोगों ने हर गांव, हर घर में कनेक्शन दे दिया। ज
डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन कर दिया। इस प्रकार पिछले 4-5 वर्षों में
लाख 2 हजार करोड़ रुपये खर्च कर के 2,900 नए सब-स्टेशंस बनाए हैं। 3,900 सब
स्टेशंस को अपग्रेड किया है। 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बिछाई। 2.
लाख सर्किट एचटी लाइन बिछाई। पहले गांवों में 12 घंटे बिजली रहती थी, आज 22
22.5 घंटे बिजली रहती है। जहां कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो वह लोक
कारण से होती है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग इसको आधुनिक भी बना र
हैं।

अध्यक्षा महोदया, यह जो अमेंडमेंट है, यह इसे आधुनिक बनाने की योजना है
धन्यवाद।

माननीय सभापति: अध्यक्षा महोदय नहीं होता है। अध्यक्ष शब्द ही पूर्ण है। अध्य
महोदया और अध्यक्ष महोदय बोला जाता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया या अधिष्ठाता महोदया, माननी ऊर्जा मंत्री जी ने जो दुनिया की चिंता व्यक्त की है, चाहे वह क्लाइमेट चेंजेस की बा हो, ग्लोबल वॉर्मिंग की बात हो या कार्बन एमिशन की बात हो, आज पूरी दुनिया क चिंता में भारत की उस पहल को जिस तरह से अपने बिल को प्रस्तुत करते हु उन्होंने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लि खड़ा हुआ हूं।

स्वाभाविक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जब दुनिया के लोग हम मिलते थे तब हम बैकफुट पर रहते थे और आज वे डिफेंसिव मोड पर हैं। जिस तर से उन्होंने विस्तार से कहा है, मुझे लगता है कि सब लोग इस बिल का सर्वसम्मति समर्थन करेंगे।

आखिर इस बिल को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बिल हम लोगों वर्ष 2002 में तैयार किया, उसमें उसके बाद वर्ष 2010 में अमेंडमेंट हुआ। वर्ष 201 में पहली बार यह हुआ कि हम एनर्जी के कंजम्पशन को, उसके नॉर्म्स को, इंडस्ट्री को एक करेंगे। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बढ़ते हुए उस कार्बन एमिशन उत्सर्जन की बात हुई, क्लाइमेट चेंजेस की बात हुई, जिस पेरिस समझौते का उल्ले किया, ग्लासगो के समझौते का उल्लेख किया, कॉप-26 का उल्लेख किया, स्वाभाविक है कि उस चिंता के कारण आज भारत की लोक सभा में इस एन कंज़र्वेशन अमेंडमेंट बिल को माननीय मंत्री जी ले कर आए हैं। आज उसमें दूस देशों से हमारी अच्छी पहल है और इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल हम आ वाले दिनों में जो प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी ने ग्लासगो में पांच मेजर स्टेप जिसको पंचामृत भी कहते हैं, उस पंचामृत को उन्होंने कहा है, तो केवल ग्लासगो सम्मेलन में उन्होंने भारत की तरफ से एक वायदा ही नहीं किया, भारत की भावना की अभिव्यक्ति नहीं की या भारत के कमिटमेंट को नहीं दर्शाया, बल्कि उ कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज भारत की सदन में एक अमेंडमेंट बिल ले क आए हैं, मैं इसलिए अपने ऊर्जा मंत्री जी को और अपनी सरकार को बधाई देता हू

महोदया, आज इस क्लाइमेंट चेंजेज के पीछे जो कार्बन इमर्सन है, औद्योगिक क्रांति यू.एस.ए. या दुनिया के मुल्कों में हुई, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा

चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर आज दुनिया में कार्बन इमर्सन का परसेंटे
देखा जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उसके लिए अगर आज भी जिम्मेदा
है तो वह यू.एस.ए. है क्योंकि यू.एस.ए. का आज भी इसमें योगदान 25 प्रतिशत है
यूरोपियन यूनियन के जो 19 देश हैं, उनका योगदान करीब 22 प्रतिशत है। चाइ
का आज भी 13 प्रतिशत है और भारत का केवल 3 प्रतिशत है। इसके बावजूद भ
1.5 प्रतिशत से ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर न बढ़ने पाए, इसकी प्रतिबद्धता, जो पह
दुनिया के नेताओं को होती थी, आज वह भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की है
यह विश्व के कल्याण को लेकर स्वाभाविक है। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, य
यू.एस.ए. की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि 1850 से लेकर 2019 तक भारत
कार्बन इमर्सन 4 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं हुआ।

वहीं यूरोपियन यूनियन का देखिए, यू.एस.ए. का देखिए, जैसा मैंने कहा कि य
क्रमश: 22 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। राज्य सभा में जवाब देते हुए माननी
मंत्री जी ने 29 जुलाई को कहा था कि हमारा यह है। इसलिए, आज हमसे ज्या
जिम्मेदारी तो अमेरिका की होनी चाहिए थी। आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी
यूरोपियन यूनियन की होनी चाहिए थी, चाइना की होनी चाहिए थी। लेकिन, या
कीजिए, 4 नवम्बर को पेरिस के समझौते से यू.एस.ए. के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल
ट्रम्प जी अलग हो गए। वे क्यों अलग हो गए, क्योंकि उन्हें शायद लगा कि दुनिया
इस कार्बन इमर्सन या क्लाइमेट चेंजेज के लिए अन्य देशों के खर्च को हमारा दे
क्यों वहन करे। उन्हें दुनिया की मानवता की चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें चिंता थी
शायद अमेरिका के एक्सचेकर पर इसका बोझ पड़ेगा। उन्होंने उस समझौते
अपने को 4 नवम्बर, 2019 को अलग कर लिया। इससे दुनिया में क्या संदेश गया
क्लाइमेट चेंजेज, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन इमर्सन को लेकर दुनिया के उस समझौ
से अमेरिका अलग हो गया। दुनिया के सामने एक प्रश्न चिह्न लगा होगा। जब ए
तरफ अमेरिका उससे अलग हो रहा था, उस समय उस समझौते की पहल, उ
समझौते के साथ स्टैंड, तो 4 नवम्बर, 2019 को ग्लासगो में भारत के प्रधान मंत्री
स्टैण्ड लिया कि इस अभियान को हम बढ़ाएँगे, दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को ज़ी
करेंगे। हमने वर्ष 2070 तक अपना लक्ष्य रखा है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कह
हमने वर्ष 2030 तक भी लक्ष्य रखा है। डोनाल्ड ट्रम्प इससे अलग हो गए, लेकि
उनके अलग होने के बाद जो अभियान, जो स्टैण्ड भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मो

जी का था और जिसके साथ पूरी दुनिया की चिंता थी और पूरी दुनिया के लोग उस
जुड़े थे, आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस के सा
जुड़े हैं। यह भारत की जीत है और दुनिया को भारत का एक संदेश है। आज मो
जी चिंता कर रहे हैं और जिस तरीके से कॉप-26 में उन्होंने कहा कि हम पंचामृत
पाँच स्टेप्स लेंगे। उसमें सबसे पहले कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज से कॉम्बैट कर
के लिए, क्लाइमेट चेंजेज को ठीक करने के लिए काम करेंगे। क्लाइमेट चेंजेज क
ठीक होगा? क्लाइमेट में चेंजेज आ रहे हैं। कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा
प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो उस कार्बन के उत्सर्जन का असर दुनिया के क्लाइमे
पर पड़ता है। यह इंटरलिंक्ड है और उसके कारण क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं। जै
बारिश के समय बारिश का न होना, कहीं सूखा पड़ना, कहीं गर्मी के समय में बारिश
इस तरह से हो रहा है। उन्होंने इसके लिए पाँच चीज़ें तय की। माननीय मंत्री जी
कहा कि हम इसमें आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन इसके आगे भी हमारा कमिटमेंट है
उन्होंने बार-बार कहा कि भारत की यह प्रतिबद्धता है कि आने वाले दिनों में हम
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से या थर्मल या कोल की एनर्जी से हमने रिन्यूएब
एनर्जी को स्विच-ओवर करेंगे। जहां पहले भारत का लक्ष्य 175 गीगावाट्स बिजल
प्राप्त करने का था, आज वही हमारी सरकार ने नॉन-फॉसिल, जैसा कि मंत्री जी
व्याख्या की है कि चाहे वह सोलर हो, चाहे विंड हो या हाइड्रो हो, इस तरह रिन्यूएब
एनर्जी से हम 500 गीगावाट्स को हासिल करेंगे और उत्पादन करेंगे, यह भारत क
संकल्प है।

हम यह संकल्प करके आए हैं कि उस दिशा में हमने जो लक्ष्य रखा था, उसक
भी हासिल करेंगे। आपने रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष
रखा था। मैं बधाई देता हूँ कि हमारी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में 114 गीगावाट क
लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक अचीवमेंट है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ज
प्रतिबद्धता कॉप-26 में करके आए थे, उस दिशा में हम वर्ष 2030 तक नॉन-फॉसि
एनर्जी मतलब जो ग्रीन और क्लीन एनर्जी होगी, उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम 50
गीगावाट करेंगे। आने वाले दिनों में, वर्ष 2030 तक का यह संकल्प है, इस दिशा
हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए, अभी तो मैंने प्रारंभ किया है

रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ष 2030 तक हम अपने देश की 50 प्रतिशत एनर्जी क
रिन्यूएबल एनर्जी पर लेकर जाएंगे। वर्ष 2030 तक का हमारा संकल्प है कि हम
बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करेंगे। वर्ष 2070 तक यह संकल्प है कि जी
कार्बन एमिशन का भारत होगा, जो दुनिया के लिए अपने-आप में एक संदेश है।

कार्बन की इन्टेन्सिटी- सौगत दादा ब्रिफिंग में आते हैं, लेकिन वह आज नह
आए। मैंने आज सुबह कार्बन इन्टेन्सिटी की वैल्यू भी पूछा कि इसको हम कै
कैलकुलेट करेंगे। आज हमने उस कार्बन इन्टेन्सिटी या कार्बन उत्सर्जन की तीव्र
को भी कम करने के लिए संकल्प लिया है कि उसको हम 45 प्रतिशत कम करेंगे
इस तरह से जो पाँच मेज़र स्टेप्स हैं, उनको हमने लिया है। आप देखिए, जब हमा
सरकार आई तो हमने 'वन नेशन - वन ग्रिड' की बात कही। आज दुनिया
प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्हें पूरी दुनिया की बिजली की चिंता, एनर्जी की चिंता, नॉन
फॉसिल एनर्जी की चिंता या क्लीन एनर्जी की चिंता है। आज उन्होंने अगर 'वन स
वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' का नारा दिया है, जिसको हम साकार करने के लिए काम क
रहे हैं। उस काम को भी हमारी सरकार कर रही है। हम सिंगापुर तक लाइन बना
जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक सूर्य है। दुनिया का मतलब पूरा विश्व एक परिवार
और एक ग्रिड है।

आप सोचिए, इसी हाउस में दादा भी थे और हम भी थे। इसी आगरा के पा
ग्रिड फेल हो जाती थी। कई राज्य अंधकार में डूब जाते थे। भारत में वन ग्रिड नह
था। अभी माननीय मंत्री जी अपने उतर में इसका उल्लेख करेंगे।

आज मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि ह
ग्रीन बिल्डिंग का काम करेंगे। उन्होंने कार्बन मार्केट की बात कही। उन्होंने फॉसि
फ्यूल को रिड्यूस करने की बात कही। आज भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस
भी सबसे पहले पहल की है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज प्रधानमं
माननीय मोदी जी ने एक पहल किया कि पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल सोल
अलायंस हो। आज हमारे साथ दुनिया के 107 देश उसके सिग्नेटरीज़ हैं। इस तरी
से आज हम काम कर रहे हैं। सरकार का निर्णय इस दिशा में है कि हम इन संकल
को पूरा कैसे करेंगे। इसके लिए हमने कदम उठाया है। हम अभी भी सोलर
ज्यादातर चीजें बाहर से मंगा रहे हैं।

अधिष्ठाता महोदया, इस बार हमने वर्ष 2022-23 के बजट में 19,500 करो
रुपये का प्रावधान किया है। हमारे जो डोमेस्टिक सोलर की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसक
उत्पादन के लिए प्रयास हो रहा है। आज चाहे फोटो वोल्टाइक हो, चाहे और चीजें ह
आज हम सारी चीजें बाहर से मंगा रहे हैं। हमने उस चीज के लिए प्रावधान किया
कि हम खुद इसका उत्पादन करेंगे। इसके लिए हमने 19,500 करोड़ रुपये क
प्रावधान भी किया है। हम 'वन नेशन वन ग्रिड' की बात करते हैं। इसके साथ ह
आज हम 'वन सन, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड' की भी बात कर रहे हैं। आज हम ग्री
एनर्जी पाने के लिए, चाहे वह सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, प्रयास कर रहे है
इस बिल को हम क्यों अमेंड कर रहे हैं? इस बिल को अमेंड करने के पीछे हमा
मंशा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी क्लीन हो, क्योंकि आज हमारे ट्रांसपोर्ट में भी कार्ब
एमिशन होता है।

स्टबल बर्निंग की बात है या ग्रीन बांड्स को इश्यू करने की बात है, जिससे ह
ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर बना सकें और फिर हम उससे कैपिटल तैयार कर सकें।
गवर्नमेंट के निर्णय हैं और गवर्नमेंट ने उपाय शुरू कर दिए हैं कि हम इस देश
पचास सोलर पार्क्स की स्थापना करेंगे। पचास सोलर पार्क्स से चालीस हजा
मेगावॉट रिन्युएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ेगी। हमने तय किया है कि हम 50
गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उस दिशा में पचास सोलर पार्क्स स्थापित कर
का हमने फैसला किया है। हमने तेजी से 114 गीगावॉट को इंस्टाल कर लिया। आ
उस दिशा में चाहे रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम हो, उसमें भी हमने चार हजार मेगावॉ
का टार्गेट रखा है कि हम चार हजार मेगावॉट का लक्ष्य पूरा करेंगे। पूरी दुनिया क
लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उस गोल में जो 11 में हैं, इस रिन्युएबल एनज
से हम 9 इश्यूज़ को एड्रेस करने जा रहे हैं। इससे साफ है कि भारत आज रिन्युएब
एनर्जी के मामले में कार्य कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को हम अमेंड कर र
हैं और उसके पीछे यही मंशा है।

ग्रीन बिल्डिंग का जो तात्पर्य है, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि उसका एक
पॉजीटिव इंपैक्ट हो और यह रूफ टॉप पर होगा, सोलर एनर्जी या इन चीजों से होगा
हमने तय किया है कि इस बिल से हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी बनायेंगे
स्वाभाविक है कि जब हम एक प्रमोशन करना चाहते हैं या रिन्युएबल एनर्जी क

प्रमोट करना चाहते हैं, विद इन दी स्टेट ऑलसो, तो हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेश फंड का भी निर्माण करेंगे। यह जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो स्कोप ऑफ एनर्जी है कंजर्वेशन है, चाहे बिल्डिंग कोड हो, चाहे अमेंडमेंट ऑफ पेनॉल्टी प्रोविजंस हो, चा एंपावर ऑफ दी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेट्री कमीशन हो या कोई और रेगुलेशन बना की बात हो, यह सारी चीजों को पूरा करेगा।

मैं धन्यवाद दूंगा कि इस बिल में खास तौर से ग्रीन बिल्डिंग की बात कही गई ग्रीन बिल्डिंग का मतलब यह नहीं कि यह केवल एन्वायर्नमेंट पर निगेटिव इंपैक रेड्यूस करेगा या एलीमिनेट करेगा। एन्वायर्नमेंट के निगेटिव इंपैक्ट या कार्ब इमर्शन को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ ही उससे लेस वॉटर, एनर्जी या नेचुर रिसोर्सेज़ का भी लाभ होगा।

निश्चित तौर से a positive impact on the environment, at the building c city scales, by generating their own energy or increasing biodiversity. य इसका मुख्य तात्पर्य है। इसीलिए आज इस दिशा में हम यह काम कर रहे हैं। य मैनडेट्री होगा। इस बिल में हमने इसको मैनडेट्री किया है कि जो बिल्डिंग्स होंगे मिनिमम 100 किलोवॉट लोड की, वह अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिन्युएब सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी से पूरा करेगी। शायद यह दूसरे देशों के लिए भी एक रो मॉडल होगा। निश्चित तौर पर यह उस दिशा में आगे बढ़ने का एक काम होगा।

आज क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर कितना खर्च हो रहा है? India is the third bigge country in the world in importing crude oil. जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कह कि अभी हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, अप्रेजल ले रहे हैं। हम इस इंपोर्ट को पब्लि एक्सचेकर पर कम करना चाहते हैं। वर्ष 2020-21 में 62.2 बिलियन यूएस डाल हमने खर्च किए और वर्ष 2021-22 में 119.2 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए। दुनि में सबसे सस्ता फ्यूल आज भी हम दे रहे हैं। आप पड़ोस में देख लीजए, श्रीलंका ह पाकिस्तान हो, यूएस हो, यूरोप हो। सरकार इस बात की भी चिंता कर रही है कि ह रिन्युएबल एनर्जी केवल इसलिए पैदा नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेज़ को कंबे करने के लिए, चाहे कार्बन इमर्शन को खत्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वहीं हम अपने पेट्रोलियम के एक्सचेकर को

रेड्यूस करना चाहते हैं। हमने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, पीएसी के साथ बा करके इसे बनाया है।

इसी तरह से क्वांटिटी भी है, मैं उस क्वांटिटी में नहीं जाना चाहता हूं। वर्ष 2019 20 में 227 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया, वर्ष 2020-21 में 196.5 मिलियन टन क्रू ऑयल लिया, इम्पोर्ट 82 परसेंट है जो हमारी नीड है। हमारी सरकार ने टारगेट किय है कि वर्ष 2022 तक हम इसको घटाकर 82 परसेंट से 67 परसेंट पर लेकर आएंगे यह अपने आप में बहुत बड़ा संकल्प है। यह तभी होगा जब हम रिन्यूएबल एनज और इंडीजिनस प्रोडक्शन से इसे रिप्लेस करेंगे। जहां कार्बन मार्केट की बात है अगर कोई भी इंडस्ट्री कार्बन प्रोड्यूस कर रही है तो स्वभाविक है कि अगर व इंडस्ट्री कार्बन को कम करेगी, अपने प्रोडक्शन में कार्बन को जितना रिड्यूस करेगी उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। वही कार्बन क्रेडिट मार्केट बनेगा, वही कार्बन क्रेडि आपके लिए मार्केट बनेगा, दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हैं। कार्बन उस मार्केट लोगों को कम से कम रिड्यूस करने से आने वाले दिनों में 5 से 10 बिलियन डॉलर क फायदा होगा, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। स्वभाविक है कि हम जो इस तरह से क रहे हैं, आज उस कार्बन मार्केट से आने वाले वक्त में 5 से 10 बिलियन डॉलर क फायदा भारत को होगा। इसलिए हम इसको ओवर ऑफ पीरियड में गेन करेंगे इसी तरह से सरकार ने कुछ और उपाय किए हैं।

सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया है। इसका एक मुख्य उद्देश्य है सूर्य मित्र स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे ग्रीन जॉब कंट्री में क्रिएट हो, कै हम बूस्ट कर सकें कि ग्रीन जॉब कंट्री में हो, इस तरह के कदम उठा रहे हैं, इस तर की हमारी चिंता है। हमने पांच पंचामृत में वर्ष 2030 तक जो चीजें सेट की है, उ संकल्प को पूरा करें।

आने वाले दिनों में वर्ष 2070 तक हम किस तरह से जीरो कार्बन एमिशन प आएं और उसको पूरा करें। इसके लिए हमने जून, 2022 तक 51 हजार 331 लोग को, ऐसे कैन्डीडेट थे, जिनको हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देकर सूर्य मित्र प्रोग्रा में बेनिफिटेड किया है। A total of 26,967 number of candidates gaine employment also. हम इसके साथ इम्पलायमेंट भी दे रहे हैं। A total of 51,33 number of candidates have benefited from the skill development trainin

provided under Suryamitra programme, out of which 26,967 number c candidates gained employment also. यह हम किसलिए कर रहे हैं? यह इसलि कर रहे हैं कि वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल इनर्जी का टारगेट है, उसव हम लोग अचीव कर सकें। मैंने कहा भी है कि यह साधारण प्रयास नहीं है। उसमें हम लोग 30/06/2022 तक 114.07 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन्सटॉ कर चुके हैं, इसका मतलब है कि हमने इसे 31 जुलाई तक अचीव कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके अंदर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमें प्रोग्राम आरई-आरटीडी है, उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अकेडेमिक रिसच इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज फॉर डेलवपमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, जो हमा चिंता है, हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी करें। हमने इसके लिए भ प्रोग्राम तय किया है। इसीलिए हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए अकेडमिक व्यवस्थ भी की है, हमने उसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था की है, इसकी व्यवस्था आज देश ने किया। इसी तरह से रुफ टॉप सोलर प्रोग्राम के फेज-दो में सेंट्रल फाइनेंशिय असिस्टेंस, सीएफए है, रेजिडेन्शियल सेक्टर में जितने हाउसहोल्डस हैं या रूर एरिया में हैं, 4 हजार मेगावाट का एक टारगेट है, हम उसको पूरा करेंगे।

आप सोचिए कि पेरिस एग्रीमेंट वर्ष 2015 में आया और वह वर्ष 2016 एनफोर्स हो गया। जैसा मैंने उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में दुनिया के बड़े-बड़े देश जिनको हम प्रगतिशील और बहुत सम्पन्न देश कहते थे, वे उससे अलग हो गए लेकिन, आज भारत को केवल अपनी चिंता नहीं है। भारत को अपने साथ-सा दुनिया की भी चिंता है। आज दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजे या कार्बन इमर्शन की एक चिंता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में चाहे ग्लासगो में हो कॉप-26 में हो या पेरिस में हो, मैं कह सकता हूं कि आज अगर उसकी कोई अगुवा कर रहा है तो वह भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। हम उ अचीवमेंट को दुनिया में प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करता हू धन्यवाद।

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Thank you, hon. Chairperson, Madan I stand here today on behalf of my Party, the All-India Trinamool Congres

to speak on the Energy Conservation Bill, 2022, which seeks to amend th older Act of 2001.

I would like to begin by quoting the late US President, Jimmy Carte who said : "Every act of energy conservation is more than just commo sense -- I tell you it is an act of patriotism".

Indians traditionally have lived by the motto 'money saved is mone earned'. This holds entirely true for energy as energy saved is energ earned. Energy conservation or energy efficiency might be one of the mo important factors going forward in India's sustainable growth.

Now, what are some of the main things that this Bill seeks to do a stated in the Objects and Reasons. I am going to try and explain the two c three main things very simply. Number one, this Bill adds large residenti buildings. What are large residential buildings? It is those with a connecte load of 100 kW or with contract demand of 120 kVA is brought into th ambit of this Act. Previously, it was only for DISCOMS and commerci buildings.

The second thing that it does is, currently only the DISCOMS had mandate to purchase renewable energy, and with this Amendment this going to be extended to industry. For example, an industry like a cemer plant has to buy 25 per cent renewable power. Now, cement is a Round-the Clock (RTC) process and continuous process industry. Solar energy is onl available for a certain time. So, the cement plant cannot meet all its neec from buying renewable energy. What can it do? It can buy carbon cred certificates instead of purchasing renewables, and companies like the Sol Energy Corporation of India can sell these certificates.

The third thing is that this Bill allows the Government to mandat utilization of a minimum amount of a specific renewable. For example, on

can say that this is an oil refinery and this oil refinery is mandated to utiliz 10 per cent green hydrogen or one can say that a fertilizer industry mandated to use 10 per cent green ammonia. Now, the promotion of gree hydrogen is a good forward-looking objective and there is no doubt about i but there are simpler goals that can be achieved with far superior outcomes.

For example, India worked on the LED lighting revolution, and w need a similar revolution in solar heating and solar pumps. The concept c carbon trading markets, and rules in usage by DISCOMS is doing nothing t incentivise solar pumps and solar heating.

The hon. Prime Minister's mission is a home-for-all under the Prim Minister's Awas Yojana, which is a great scheme, but this essentially mear that all those citizens will expect to have cooling in their homes whether it a fan, air cooler or an air conditioner at least in the Summer. So, we need t talk about cooling equity. Nobody is talking about cooling equity.

The Inter-Governmental Panel on Climate Change predicts that by th year 2100 -- which is 80 years away -- the need for electricity for powe cooling is going to go up by 30 times than what it was in 2000. Now, this a global statistic. India's Ministry of Environment's Ozone Cell has alread talked about cooling goals in the India Cooling Action Plan (ICAP). The had a very comprehensive Report published in March, 2019 and an hon Member of this House, Dr. Harsh Vardhan, was then the Minister and h signed on the Report. It is a very comprehensive Report. The ICAP seeks t reduce cooling demand by 20-25 per cent by 2037-2038, but this curren Amendment does not take cooling demand anywhere into consideration.

The Bill only talks about large residential buildings. The reality is tha we need to focus on passive cooling. What is passive cooling? When yo are designing a building, you need buildings that utilise shading and othe

techniques. We need to incentivize the use of five-star energy-saving a conditioners, solar heaters, and solar pumps. None of this comes under th purview of this Act. The same India Cooling Action Plan report states th "The aggregated nationwide cooling demand - this is something that measured in Tonnage of Refrigeration (TR) - it is going to grow aroun eight times by 2037–38 as compared to the 2017–18 baseline. So, in 2 years' time, it is going to grow eight times.

The building sector cooling demand that you are talking about wi grow 11 times; cold-storage chain demand will grow by four; transport ai conditioning will grow by five times. When you say that it is a gree building, how is air conditioning in most of our buildings done?

We think about residential buildings; most of us live in residenti buildings. It is not something that the builder does, it is not something th the Government does, air conditioning is put by individual consumers. So, buy it; you buy it; and we fit it into our homes. So, eight per cent of th current households in India have air conditioners. This is anticipated to ris to 21 per cent by 2027-28. So, in another five years' time, 21 per cent India's homes are going to use air conditioners. In 15 years' time, 40 pe cent of India's homes are going to use air conditioners. So, what do we nee to do? Currently, the Oxford India Sustainability Center has come up with study that says that about 40 per cent of air conditioners being used in Indi today have only a 3-star energy efficiency. We need to make sure that all a conditioners that are sold have an incentive for R&D, incentive fo manufacturers to progressively improve or 5-star units to be available, an for people to be incentivised to buy them. Solar-based cooling technologie should be given a big R&D focus because we are not focusing on coolin technologies.

If you are talking about rural households, air coolers and ceiling fan even ceiling fans and air coolers, we have something called the Bureau

Energy Efficiency. Today, when you go to a market – for example, you go t Kotla market – and intend to buy a fan or a cooler, there is no BEE stamp o all of them. So, we have to make sure that everything available to th consumer, even in terms of non-air conditioners - fans and coolers – hav the BEE stamp.

When you read the ICAP Report, it spoke of short-term, medium-tern and long-term recommendations. I am just going to look at the short-ter recommendations. It says very clearly that India needs to recognize coolin as a National Thrust Area and promote R&D for cooling; it needs t facilitate and encourage applied research for energy-efficient coolin technologies. I don't find any mention of this in the current amendment Bi at all.

One very important thing we need to concentrate on. Most of India cooling requirements occur between 7 p.m. and 10 p.m. That is the tim when people come home after work; families sit together. This is when th fan is on; the air conditioner is on; and the air cooler is on. When we a talking about renewable energy and you are concentrating on solar energ please understand that solar energy is available during the day. So, we nee to shift the availability of storage for solar energy to the 7 p.m. to 10 p.n slot.

While we need to create solar energy, we need to create four-hour pea storage battery to store this solar energy. We need to create pump sol hydro, grid scale batteries to ship the availability of solar to the 7 pm to 1 pm time when people need it. Otherwise, it is useless because the time whe people need it is not when renewable energy is made available.

When you see India's size, India is a vast country, and perhaps no oth country in the world is as big as India, which has only one time zone. The is a study by the CSIR-National Physical Laboratory. It is a scientific stud which says that there is a huge benefit to evaluating. At least let us evalua

the idea of two time zones for India. One for the North East Region - Assa to the North East, Andaman and Nicobar Islands, because the sun rises at or 6 a.m. and sets as early as 4 p.m. in the evenings during the winte Government offices start at 10 am. So, you have that peak time in th morning where energy is wasted. In the evening, in the North Eastern part India, you need electricity from 4 pm for lighting; for the rest of India, yo need it at 6 pm. So, again, you see, the circadian rhythm of people plus the energy needs are different. Perhaps, the idea of making that part of Indi GMT+6.5, which is supposed to be for us GMT+5.5 for the rest of Indi would be beneficial. The study actually says, it would result in an annu saving of approximately 2.7 billion units of electricity.

This study was done by the National Physical Lab under CSIR. So, think there is a critical need to implement it urgently in terms of both healt and energy conservation.

Let's look at the Bill from the perspective of industry because we a encouraging industry to actively produce renewable energy and promo renewable energy. What are we doing to make things easier for the industry The first biggest challenge is the policy consistency. The regulato framework for renewable energy and the procedures are different from Sta to State. The definition of the Renewable Purchase Obligation, RPO, diffe from State to State. This company which is operating pan India is taking huge risk of investment because different standards are there for every Stat The policies are available for five years. Again, you have an investment risl

You do not know what is going to happen in five years' time. You loo at biomass. Biomass does not even have a comprehensive framework. Th State Electricity Regulatory Commissions have delayed payments. Th developers get into a debt trap because they are not getting their payments i

time from SERCs. For captive solar producers, a consistent metering polic is a must. There is no consistent metering policy for captive solar producers

Let us come to GST. The Government previously had 5 per cent GS on renewable energy equipment. Now, they have increased it to 12 per cen If you look at the last 18 months, the prices of PV modules which are use in solar panels have increased by 40 to 50 per cent. So, if you look a domestic solar engineering, domestic solar procurement, and constructio basically, the entire solar EPC market has been hit. This is something w need to look at seriously.

Regarding infrastructure, there is insufficient integration between th grid and renewable projects. The grid is producing the renewable energ The State Electricity Regulatory Commission is not being able to use all th generated power. So, we need the transmission infrastructure to be ahead c the renewable generation infrastructure. We are producing it. Th transmission is not being able to pick it up. This is important.

Regarding overdependence on solar power, there is an allocation c about Rs. 19,500 crore to facilitate domestic solar manufacturing. This is great thing. Currently, 80 per cent dependence is there on one country whic is China. So, we need to include provisions in our policies to bring win energy at par with solar energy because most manufacturing for wind energ is domestic. We can also look at mini-hydro. Of course, there is a lot c untapped potential in mini-hydro. There are some environmental issues th need to be examined and we also need to promote biomass as an alternativ energy source. What is happening now with using only solar is that we a not getting round the clock renewable power. This is something that ca only be done with a mix of hydro, wind and solar.

The next thing is storage. There is a lag between the demand for th energy and the time when the energy is produced. So, what do we need? W need storage. India would need about a dozen gigawatt scale factories wit an average capacity of at least 10 GWh.

So, the Government needs to support R&D and the local batter manufacturing to scale up. This is something that is the need of the hour.

Regarding Green Hydrogen, currently, 95 per cent of hydroge produced is grey hydrogen which comes from natural gas. There are som technological challenges for transportation and for the usage. So, grea efforts and investments are required in R&D of the green hydrogen space. is not going to be easy to shift overnight from 95 per cent grey hydrogen t green hydrogen.

It is a good Bill. It is a step in the right direction but this Governmer has got an uncanny knack of ignoring what is important and concentratin on what makes headlines. For example, we should now be looking at GD We are being exhorted by the Government to concentrate on our DPs. S the G has been forgotten from the GDP. Look at the GDP only. Let us n make the same mistake with energy conservation. There is plenty of goo work done by various ministries. I myself have read two ver comprehensive reports, not by your Ministry but by others. I would reall urge that those recommendations are encompassed into this Amendment.

In conclusion, we have got to be very serious about energ conservation and about encouraging energy conservation. It is not ju enough to be a Government of gasbags. We have got to do more than that.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I want to inform you first before I sta my speech that one of the companies that I lead as Chairman, Amara Raj Batteries Limited, is an energy and mobility company. This Bill is quit

close to the area in which we operate. Therefore, I request you to be a littl flexible with the time as I am sure, the hon. Minister and the Governme will find the inputs useful.

Madam, the thematic objective to bring this Bill is to give legislativ backing to the hon. Prime Minister's Panchamrit which contains five nect elements right from sourcing 50 per cent electricity from non-fossil fuel reducing carbon emission by one billion tonnes, installation of 500 G hours of non-fossil energy capacity, achieving net carbon zero emission b 2070, and reducing the overall emissions. The road seems to be perfectl laid, but all we have to see is to what extent we will be able to extract th nectar. Since we have to take the States along, in spite of the fact th Electricity is in the Concurrent List under Entry 38, technically th Government of India can achieve this. But I feel, unless and until the ho Minister takes the States along, it is difficult to achieve all the five element

Madam, the Bill as I see it aims to act as a facilitator to achieve COP 2 targets. So, I feel the proposed legislation is in the right direction. It is n that since the Bill has come, we are proposing to work on renewables. Th is not true. In fact, we have shown rapid adoption of renewable energ sources during the last nearly one decade. If we are able to realise the s goals of even 50 to 60 per cent, we will have huge savings in import bill improving energy security, creating green jobs, attracting huge investment and above all we can advance the adoption of clean tech innovations such a energy storage technologies, and green hydrogen production etc. Fro every angle, this Bill is of immense help to India and to its people, an hence I am supporting it.

Madam, with all that said and done, there are challenges to switch fro fossil to renewable which need to be addressed. Otherwise, it will become futile exercise. I will address them one by one very briefly and succinctly.

The first challenge as I see it is that we need policy consistency. If yo look closely, the regulatory framework and procedures are different in ever State because they define their respective renewable purchase obligation This creates higher risk of investment in this sector. Secondly, the policie are applicable for just five years which will create investment risks. An biomass sector does not have a comprehensive framework, as my colleagu just mentioned. The delay in payment by the State Electricity Regulator Commission to the developers imposes debt burden on the developers a well. Thirdly, for commercial and industrial scale, captive solar producers, consistent metering policy is a must to encourage investment.

The second challenge, Madam, is taxation. I suggest for consideratio of the hon. Minister to revert GST to the earlier level of five per cent fro the current 12 per cent on renewable energy equipment to encourage greate adoption. I need not apprise the hon. Minister that in the last 18 month there has been a 40 to 50 per cent increase in the price of PV modules, an domestic solar engineering procurement, and construction costs. So, I urg the hon. Minister to discuss the issue with the hon. Finance Minister an convince her that in order to achieve this Panchamrit promised by the ho Prime Minister, we have to bring GST down to five per cent, Sir.

Madam, there are infrastructure bottlenecks. There is insufficie integration with the grid which affects the renewable projects. SERCs a not able to use all of the generated power to meet the needs. Th transmission infrastructure should stay ahead of the renewable energ generation infrastructure which is not happening currently. So, I request th hon. Minister who mastered the power sector, be it non-renewable c conventional, to please look into this and ensure that there is a bette integration with the grid.

Madam, with the Government pushing for greater adoption an penetration of EVs for both personal and commercial use, the energy an mobility sectors are getting intertwined now. We cannot look at one whil ignoring the other. And we will have to meet the energy demand for ou mobility needs as well. For this, we need to have the right infrastructu along with having the right energy mix and energy storage capabilities t meet the peak demand.

If we are to leapfrog the present three lakh EVs in 2021 to what proposed under the Electrical Vehicle Opportunity Report in 2021, a electrified 70 per cent of commercial vehicles, 30 per cent of private car 40 per cent of buses, 80 per cent of two-wheelers, and 100 per cent of three wheelers by 2030, we will need a strong push to develop the require infrastructure. So, I appeal to all Ministries concerned such as the Ministr of Road Transport, Heavy Industries, Power, and others to sit together an provide economic incentives such as subsidies, tax rebates 100 per cent FD manufacturing hubs, and incentives to set up charging stations as well a push for the Made in India batteries since the cost of the battery is the majo portion in the cost of the electric vehicles.

15.00 hrs

It can go as high as even 40 per cent in the case of passenger cars Otherwise, we will not be able to achieve the above targets. I a particularly focussing on batteries, since the lives of EVs depend on lifespa of batteries and support provided by the Government for their replacemen Now, the Government schemes are giving incentive only for specifi vehicles and for a certain period. Battery needs to be replaced once in six t eight years and it costs around 30 to 40 per cent of total cost of the vehicle So, the Government has to create a policy framework for giving incentive

at least once, for replacement of batteries in private vehicles and twice fc replacement in the case of commercial vehicles.

Energy storage is another aspect in this whole story. India needs a least 10 to 12 Giga-scale factories for advanced chemistry cell production t meet our renewable ambitions and to achieve the goals set by the hon. Prim Minister. So, I suggest that the Government should support our Researc and Development and local battery manufacturing in order to scale up. I this context, I appreciate the efforts put in by NITI Aayog and th Department of Heavy Industries in recently awarding 50 GWh of ce manufacturing capacity under the ACC PLI scheme with a provision of R 18,100 crore as incentives.

Secondly, as I said, energy storage is important in grid integration an balancing generation of various generation sources. If we were to achiev the targeted EV adoption by 2030, while the overall electricity demand fc EVs in the country is projected to be around five per cent of the tota electricity demand in the country, the real challenge lies in intelligentl managing the stress on the grid during the peak demand hours. Energ storage technology plays a vital role in this context. There are man advantages. It improves quality of power. It reduces the peak demand Distribution goes up and it brings down use of diesel for back-up powe applications, etc. Rooftop solar accounts for 80 per cent of the total energ storage in the country today. If we use advanced battery technologies, will help rooftop solar installations.

But the Ministry had set a target to install 500 MW of micro and mi grids as well in the country. What has happened to that is something th certainly I would like to know and the House, I am sure, would like t know. I am mentioning this since the energy storage market for off-gri

renewable energy is huge and runs into hundreds of billions of dollars More than that, it helps to store and supply power to rural households.

On the energy mix, it is good that we as a nation are progressin rapidly towards the solar energy goals that we have set for ourselves. But you look at nuclear, it is not so encouraging. If you look at hydrogen, it still in its nascent stage. The hon. Prime Minister's announcement, in h Independence Day Speech in 2021 from the Red Fort, about launching National Hydrogen Mission and intending to make India a global hub fo green hydrogen production and export is not visible on the ground. So, t overcome this, we need investments in Research and Development t produce green hydrogen from renewable energy sources. Therefore, I hav no hesitation to say that little has been grounded on pushing a balance energy mix in the country to help us realise the Net zero targets that we ar committed to achieving. I urge upon the Minister to please throw some ligl on this.

I have a couple of points and then I will conclude. The hon. Ministe must be aware that the Perform, Achieve and Trade (PAT) scheme wa introduced way back in 2008. We need to make it more effective and mor sectors should be included. If you look at PAT, it is not patting; rather it i in a way, punishing the sector.

It is because the incentive is very low and there are high penalties fo not meeting the targets. I believe, if we want PAT to write a success stor the scheme has to be improved and this scheme could result in better buy-i once the carbon credit trading scheme proposed under the Bill comes int effect.

I need not speak about our over-dependence on China. I appreciate th hon. Minister for allocating Rs. 19,500 crore to facilitate domestic sola

manufacturers. However, we are still depending on China for more than 8 per cent of our needs in this area. I feel, we need to include provisions t bring wind energy, mini-hydro, and biomass as alternative energy sources These hybrid models would also help availability of alternative sources an lead to faster adoption.

Land is a scarce resource. Mechanism for faster land allotment t developers is also the need of the hour. Other environmental impacts lik water required for solar installation need to be examined. Most solar plan in waste lands are in highly water-stressed areas. We must also look int waste disposal guidelines to understand the overall life cycle and life cycl cost for better decision-making.

In the Budget speech, the Finance Minister announced that th Government will bring Battery Swapping Policy to boost the use of electri vehicles. Secondly, the Government of India also said that it will issu Sovereign Green Bonds to reduce carbon intensity of the economy, and t give access to industry to a large pool of money for energy transition. would request the hon. Minister to please throw some light on what is th present status and what plans he has on this. With these observations, conclude my submissions, and support the Bill. Thank you ver much.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Madam, for permitting me t speak on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.

I would like to start by recalling what philosopher Marshall McLuha said, and I quote:

"There are no passengers on the spaceship earth. We all are crew."

He has rightly said that we are all stakeholders in ensuring a bette future by protecting our earth. We all, every nation, have a responsibility i protecting and making earth a better place for the future generations.

If you recall, Madam, in 1700, that is before industrialisation, carbo concentration in the atmosphere was around 280 ppm. But right now, i 2020-21, it has reached 421 ppm, which is very high. It is going t drastically affect the climate of the earth. Every year, there has been a increase of 1.8 ppm carbon concentration in atmosphere, which results i increase in temperature. If the atmospheric temperature increases by eve one degree, it will drastically affect the food security of the whole world There have been studies which say that even one degree increase i temperature will affect the foodgrain production by more than six per cent These are alarming signs, and I would say that the time of introduction c the Bill is very important. I appreciate the Minister to have brought this Bi at a right time.

I would also like to say that global warming is no longer a theory. It a reality. We are seeing floods where we did not expect floods. We ar seeing glaciers melting. We are seeing flooding in cities which did not eve expect heavy rains. We have seen heat waves sweeping the country. So this is the time for all of us to react. This is the time when we should mak amends. India is the third largest emitter of carbon dioxide. We are th seventh worst-hit country in Global Climate Risk Index.

Our agriculture is dependent on water coming from glaciers, an rainfall. So, any change in the climatic condition is drastically going t affect the prospects of our country. We all need to make amendments. W all need to change what we were doing earlier to protect this earth.

There are a number of positive things in the Bill moved by the hoı Minister, to fulfil our commitments made at COP26 Summit in Glasgow Reaching net-zero carbon emissions by 2070; taking India's non-foss energy capacity to 500 GW by 2030; and meeting 50 per cent of our energ requirements from renewable energy by 2030. This is a welcome move.

This Bill helps in increasing investments in clean energy because c trading of carbon credits, and also making adoption of renewable energ technologies compulsory for big buildings. It is a welcome move. Eve stronger laws are required to put the system in place. It is also going t greatly reduce our export dependence. Our current bill for crude oil impo is 122 billion dollars, which is expected to double by 2030. Our natural ga import is going to triple by 2040. Our import of coal is also increasing yea by-year. So, this Bill is very important for reducing our dependence o imports.

We have a few suggestions to make. It is good to have strong laws bu an excessive force is always detrimental to the growth of anything. B excessive force, I wish to refer to Clause 12 which imposes a penalty of R 10 lakh and an additional penalty of Rs. 10,000 per day. It is very harsh. should be in a way that we attract and motivate the people to come in lin with renewables. We should motivate people by telling them it will benef them in the long run. I would like to request the Government to consider th international models like cap-and-trade market-based model. Right now, w need to adopt latest models that other countries are following. Take th example of European Union Emissions Trading System. We need to develo in similar lines so that we can attract better investments. In spite of all thes we need a proper database to assess the carbon emitted and capped. That going to motivate all the industrialists because a proper database is ver

important. It is also going to be more transparent for the people coming t India to invest.

We also require diversification of sources for raw materials. A excessive dependence on one source is not beneficial. We have seen wha has happened in Europe. Their too much dependence on Russia finall resulted in a lot of trouble for them. Now, the cost of power is almost doubl or triple in European Union and they are getting into a recession.

For example, if China blocks batteries to India or if the batterie coming from China cost double or triple, it is going to affect our plar drastically.

I would like to talk about the initiatives that have been taken by ou young hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy. The energ obligation is 19 per cent. The State of Andhra Pradesh is doing 22 per cen We are right on track.

I would like to give one more suggestion about GST. We hav requested that there should be lower slabs of GST for renewables becaus the increase in GST for pump storage at 18 per cent and for solar at 12 pe cent is not good for the industry. We request you to consider reducing GS to the previous levels.

15.14 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

I would like to say that under the guidance of our hon. Chief Ministe the State of Andhra Pradesh is going in the right direction. For example, th world's largest Integrated Renewable Energy Storage Project is bein built in Andhra Pradesh with 5,300 megawatt. It is a very big thing. It going to control emissions which are almost equal to fifteen million tonne of carbon dioxide or emissions caused by three million cars. We have thirty

three such locations. I have a proposition to make on behalf of my State. I you see these thirty-three locations, you will find that we can produce thirty three gigawatt of pump storage and that translates to 120 gigawatt of othe renewables like solar or whatever to balance the grid. It is going to be co: effective and efficient for the whole country. A commitment was made t ArcelorMittal for their factory in Gujarat. With this pump storage, they ar going to supply green steel to Europe. So, where is Andhra Pradesh an where is Gujarat? The investment is going to come in to Gujarat and th profit is going to come to Gujarat. But if you see, we are going to benefit a a country. Therefore, I would like to request the hon. Minister to conside supporting Andhra Pradesh for setting up of 33 gigawatt of pump storag which is good for the country. We have a lot of solar energy which is ther right now. For one gigawatt of thermal energy, we require five millio tonnes of coal. Kindly see what we have imported. We have imported 20 million tonnes to 215 million tonnes of coal into the country. If you translat the cost -- that we are spending outside -- we can construct these 3 gigawatts of pump storage in our country itself. This is very important. Onc we invest one year of coal import bill, we will not need to import coal in th future.

Therefore, I request you to impress upon the hon. Prime Ministe because this is going to be a game changer and Andhra Pradesh will be hub for the whole country and it will be a battery for the whole country. I future, it is all going to be green energy and it is going to attract a lot c investments. We have natural resources for that. Right now, for solar, w require to import panels. We are importing a lot of things. But for a pum storage, we only require concrete, earth work, etc., which is hundred pe cent indigenous.

It will be a part of Atmanirbhar Bharat. So, it is a big thing. We ar buying coal at 120 dollars per ton and we are producing thermal energy. Bu in a pump storage, the price is fixed for the next twenty-five years at fou rupees per unit. So, we are going to save money as there will be a reductio of import bill and price of power per unit will also be cheaper. The bigge gain will be in terms of employment and in terms of investments coming t India for the supply of green products throughout the world.

So, I request the hon. Minister to take a view on this. We have th capacity to build 33 megawatts. We require your support. We need to take strong decision. We can complete this whole 33 gigawatts in the next tw years. So, if all the 33 gigawatts are constructed, India will become sel sufficient without the import of coal. If pump storages are encouraged, think it will be a gamechanger and all credit for the biggest pump storag that is being set up in the world to our hon. Chief Minister, who is a youn person with a very good vision. So, we request the hon. Minister to suppo us for the construction of the other pump storages also.

With these words, we support the Bill. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON : Well said, hon. Member. I hope the Minister taking note of what the Member had just now said.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : सभापति महोदय, ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 202 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, इस विधेयक द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन क प्रस्ताव है। यह अधिनियम अंतिम बार वर्ष 2010 में संशोधित किया गया था। इ विधेयक में निम्नवत् प्रस्ताव किए गए हैं। ग्लासगो में आयोजित COP 26 सम्मेलन भारत द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित पंचामृत की प्राप्ति को सुगम बनाना है। भारत व 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ा लेगा। भार वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से पू

करेगा। भारत अब से वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्ब तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम कर लेगा। भारत वर्ष 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप कर लेगा। श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में यह लक्ष्य रखा गया है और मुझे विश्वास कि इसको पूरा किया जाएगा।

कार्बन उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत में कार्ब ट्रेडिंग हेतु विनियामक ढांचा प्रदान करना, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा स्वच्छ ऊर्जा औ ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि हो सके। प्रस्तावित संशोधनों से भारत में कार्ब बाजार के विकास में सहायता मिलेगी।

पंजीकृत कंपनी, जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना की आवश्यकताओं क अनुपालन करती है, को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करना। नामित उपभोक्ताओ द्वारा ग्रीन-हाइड्रोजन, ग्रीन-अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल जैसे गैर-जीवाश्म ईंध आधारित ऊर्जा की खपत का न्यूनतम स्तर निर्धारित करना। भवन, उद्योग, परिवह आदि जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा की मांग को प्रोत्साहित करना औ बढ़ाना और इस तरह देश में जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत को कम करना।

संवहनीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बड़े आवासीय भवनों को ऊज संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस की संख्या में वृद्धि करना, जिससे इसे और अधिक समावेशी और इसके आधार क और व्यापक बनाया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चि करने के लिए दंड प्रावधानों में संशोधन करना।

देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए सुचारू और व्यवस्थित परिवर्तन की शुरुआत कर और सुगम बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षा संबंधी इस प्रगतिशील विधेयक का स्वाग करते हुए इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हमें अपने अक्षय ऊर्जा और ने -जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और निरुत्साहन दोनों की एक व्यवस्था तैयार करनी होगी। हमें प्रभावी निकासी, अक्षय ऊर्जा की ग्रि कनेक्टिविटी और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की व्यवहार्यता सुनिश्चित करन जैसा व्यवहारिक और परिचालानात्मक कदम उठाने की भी आवश्यकता है।

जमीनी स्तर पर अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विद्यु विनियामक आयोगों को भी सक्रिय और गतिशील भूमिका निभाने के लिए पर्या रूप से संवेदनशील और सशक्त बनाया जाना चाहिए। पारंपरिक नौकरशाह दृष्टिकोण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकार को सक्रिय रूप हस्तक्षेप करना चाहिए और इस विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्यों को अक्षरश: प्रा करने में सभी हितधारकों की सहायता करनी चाहिए। मैं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने ने नीतीश कुमार जी की तरफ से करता हूं।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, 202 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ज का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि मालूम है कि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्ज में हो रही दिन प्रतिदिन की बढ़ोतरी मानव जीवन सहित समस्त प्राणी तथा जीव-ज के जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने के कारण एक गंभीर चिंता का विषय ब हुआ है। इसी ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऊ संरक्षण के लिए प्रयासरत देशों ने एनडीसी नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन अर्था अपने-अपने स्तर से ऊर्जा संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्य प्रोग्राम बना रख है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अनुसार वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र अधिकाधिक कमी तथा रिन्युएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल एन एजेंसी आईईए के मुताबिक अभी पूरे विश्व में विद्युत की पूर्ति 24 परसेंट रिन्युए एनर्जी के माध्यम में की जाती है जो वर्ष 2024 तक बढ़कर 28 परसेंट तक जाएगी।

महोदय, इस सरकार द्वारा भी रिन्युएबल एनर्जी के क्षेत्र में सोलर द्वारा ऊ उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार अधीन और ऊर्जा संरक्षण विधेयक द्वारा बनाए गए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्स की उदासीनता और भ्रष्टाचार के चलते सोलर से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वे तमा कंपनियां कूद पड़ी हैं जिनके पास इस क्षेत्र और ऊर्जा बचत का ज्ञान ही नहीं है उदाहरण के लिए हम सभी सांसदों, विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में स्ट्रीट सोल

लगवाए हैं लेकिन खराब गुणवत्ता और जीरो मेनटेनेंस होने के कारण एक-दो मही में ही समाप्त हो गई। अब ये कंपनियां पूरे देश में नाम बदल-बदल कर सोलर के क्षे में काम करती हैं और जनता के पैसे की लूट करती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानन चाहूंगा कि क्या इस प्रकार की कंपनियों के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उनके खिलाफ मंत्री जी ने क्या कार्रवाई की है, इसका अपने उत्तर में जरू उल्लेख करें।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएन्सी का कार्य है कि किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वा किए जा रहे ऊर्जा क्षरण की देखभाल करे और करती भी है लेकिन माननीय मंत्री ज से मुझे कहना है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी को दिए गए ऊर्जा क्षरण के लोड क सापेक्षता में यदि सीमा के अंदर ऊर्जा क्षरण किया जाता है तो उसको इनसेंटिव दि जाना न्यायोचित होगा, वहीं दूसरी तरफ ब्यूरो द्वारा दिए गए लोड के सापेक्षता ऊर्जा का अधिक क्षरण करता है तो मौजूदा 10 लाख की पेनल्टी से बढ़ाकर 20 लाख और यदि तीन बार इसी कृत्य में पकड़ा जाता है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन निरस किया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा मानना है कि देश की अस्सी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र निवास करती है और चाहे ग्रामीण हो या शहरी सभी को उसकी क्षमता अनुसा ऊर्जा की आवश्यकता है तथा अपनी क्षमता अनुसार ऊर्जा का उपभोग भी करता है

ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को जिस प्रकार सरकार आवास, शौचालय, बिजल पानी की व्यवस्था करती है उसी प्रकार बिजली उत्पादन हेतु सोलर सिस्टम क उपयोग करके जिससे घरेलू उपकरण टीवी, फ्रीज, एलईडी, पंखा चलाने के साथ साथ कुकिंग की भी सुविधा प्रदान करे तो एक तो विद्युत की मांग में कमी तथ दूसरी तरफ उसका बिल न देने से आर्थिक बचत के साथ-साथ ऊर्जा क्षरण शून्य तथ कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो जाएगा।

अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मेरी सरकार से माँग है कि प्रदूष को रोकने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है उसी प्रकार से बाजार में बिकने वाले अधिक ऊर्जा शोषित करने वाले विद्यु

उपकरणों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही इनके द्वारा मानक के अनुरूप गैस उत्सर्जन की जाँच समय-समय पर की जानी चाहिए।

अभी पिछले सत्र के दौरान ही माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा हाइड्रोजन आधारित एक कार का उपयोग किया गया था। यह एक बहुत बड़ा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में क्रांतिकारी व सराहनीय कार्य है। इस टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार और अनुसंधान अधिकाधिक करके समस्त ऑटो मोबाइल क्षेत्र सहित विद्युत उपकरणों को भी हाइड्रोजन आधारित बनाया जाना सरकार का महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की शर्त भी पूरी होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. G. RANJITH REDDY (CHEVELLA): Sir, I thank you very much for giving me the opportunity to speak on the Energy Conservation (Amendment) Bill, 2022.

Let us all confess that this Bill is being amended only to see that the achieved targets put forth by the hon. Prime Minister at the Conference of Parties 26 and the targets of *panchamrit* proposed by the Prime Minister are reached. This CoP 26 has proposed five nectar elements. Out of the five nectar elements, three were on quantitative changes. We definitely welcome all the quantitative changes.

The first change is to increase the installed capacity of non-fossil sources to fifty per cent. We definitely appreciate that. The second change is to reduce the emission intensity by 45 per cent and the carbon emission by one billion tonnes by 2030. Each one of us will definitely welcome all the three changes because we are accountable and answerable to the next generation and we are also answerable to the climatic changes in the future years to come.

On plain reading, the Bills seems to be okay but if you look into th practicality, the Government of India has two obligations. Firstly, the Centı should definitely cooperate with the States and the States' cooperatio should definitely be expected by the Centre. Secondly, I want to learn frоı the hon. Minister how the Government of India is planning to prepare itse for the CoP and the G20 Summit which are to come up next year.

Initially I had spoken about the cooperation of the States with th Centre. Though the Central Government always chants cooperativ federalism, it only implements coercive actions. The Centre always tries t spit venom on the States especially on a State like Telangana which performing excellently well under the leadership of my hon. Chief Ministe KCR but expects nectar from the State. Why I say that the Centre expecting nectar from the State is because of the way we are contributing t the Centre and what we are getting for the States. We are not getting an assistance from the Centre. When it comes to handholding or expectin some financial assistance, we are being pushed to the corner.

People talk about double engine Sarkars. We really do not need an double engine Sarkar in Telangana because the single engine Sarkar unde the leadership of KCR is doing excellently well and we all hope to continu the same.

As electricity comes under the Concurrent List, both the Centre and th State should have a say but when it comes to this point, the Centre prevailing to amend the laws, rules and regulations relating to electricity an it is encroaching upon the powers of the State. The Government of India mandating all the services including for agricultural consumers. They aı trying to put meters at the level of farmers. Most of the States are opposin this. They should have done this by amending the Electricity Act. They aı doing this through Electricity Rules, 2020. They are not amending the A

and even the BJP-ruled States are going to oppose it. We, from Telangan are strongly opposing this move.

Then, they are linking up this to 0.5 per cent additional borrowing How can it be linked to additional borrowing of 0.5 per cent? Th Government of Telangana is definitely opposing this point also.

As I mentioned about the Concurrent List, when any sector come under the Concurrent List, the Government of India can only supersede th State Government when it wishes but see the way the Centre has prevaile upon and is giving powers to the Central Electricity Regulatory Commissio by opening the floodgates to the private sector to operate in more than on State.

We strongly oppose this. When it comes to the implementation of non fossil sources, we definitely welcome this. But my concern is, how th renewable power purchase obligation of the States is going to be addresse Each State has its own limitations; each State has its own commitmen which have already been committed long time back.

If we come up with a common RPPO unit, then the burden on the State is also going to go up. Especially in States like Telangana, the burden wi go from 8.5 per cent to 21 per cent which would be a huge burden on th consumers and also on the GENCOS. I do not understand as to how one siz will be fit for all. The Minister has to explain about this.

When it comes to the AP Reorganisation Act, under Section 9 basically the GENCO was supposed to produce the power for both th States and the power was supposed to be shared in the ratio of 54:46. Bu the Government of Andhra Pradesh has stopped supplying the power whic is generated in Andhra Pradesh in spite of the conditions put by Souther Regional Load Despatch Centre. I request the concerned Minister and th

hon. Prime Minister to look into this and also request the Government o Andhra Pradesh to look into this.

All of us talk so high about the electric vehicles. We really appreciat that because it will definitely control and contain the emission. But if w look into the number of vehicles sold so far, it is around three lakhs onl The main condition to fulfil the target of increasing the number of electri vehicles is supply of batteries. As per the Indian Energy Outlook, we nee 54 lithium mines, 60 nickel mines and 20 cobalt mines for this. I request th hon. Minister of Mines to tell us about their plan to achieve this. With thes observations, I request the hon. Minister to look into the suggestions mad by the Government of Telangana. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: The deliberation on the Energy Conservatio (Amendment) Bill, 2022 is inconclusive today. We will continue it o another day.